LRS में ₹50 लाख की उप-सीमा: RBI का प्रस्ताव, डॉलर-अप्रवाह रोकने की कोशिश

12 नवंबर 2026: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त मंत्रालय को **उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS)** के भीतर कुछ लेनदेन पर **₹50 लाख की वार्षिक उप-सीमा** लगाने का प्रस्ताव भेजा है। मकसद डॉलर की बाह्य-अप्रवाह (outflow) को सीमित करना और विदेशी मुद्रा भंडार व रुपये को सहारा देना बताया जाता है।

प्रस्ताव के मुख्य बिंदु

- **मौजूदा व्यवस्था:** LRS के तहत निवासी व्यक्ति एक वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) में **2,50,000 डॉलर (लगभग ₹2 करोड़)** तक विदेश भेज सकते हैं - यात्रा, शिक्षा, चिकित्सा, उपहार और विदेशी निवेश समेत।
- **प्रस्तावित बदलाव:** कुल सीमा वही रहेगी, लेकिन कुछ श्रेणियों पर अलग से **₹50 लाख प्रति वर्ष** की उप-सीमा; रिपोर्टों के अनुसार **व्यापारिक यात्रा और तीर्थ-यात्रा** इसमें आ सकती हैं।
- **अपवाद: शिक्षा और चिकित्सा** व्यय को इस उप-सीमा से बाहर रखे जाने की संभावना; कुछ रिपोर्टों के अनुसार विदेशी निवेश के लिए RBI की पूर्व-स्वीकृति की भी चर्चा।
- **स्थिति:** यह अभी केवल प्रस्ताव है - कोई प्रारंभ-तिथि घोषित नहीं हुई; अंतिम नियम केंद्र सरकार के निर्णय के बाद जारी होंगे।
- **पृष्ठभूमि:** रुपये पर दबाव और डॉलर-अप्रवाह रोकने की चिंता; चालू खाता घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन RBI की प्राथमिकताओं में है।

LRS: प्रिलिम्स के स्थायी तथ्य

- **कानूनी आधार:** विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (**FEMA, 1999**) के तहत RBI द्वारा **2004 में शुरू** की गई योजना।
- **दायरा:** चालू खाता (current account) और पूंजी खाता (capital account) दोनों तरह के लेनदेन - विदेशी बैंक खाता, संपत्ति खरीद, विदेशी शेयर-म्यूचुअल फंड में निवेश आदि।
- **पात्रता:** केवल **निवासी व्यक्ति** (नाबालिगों के लिए अभिभावक के माध्यम से); NRE/NRO खातों से प्रेषण अलग नियमों में आता है।
- **प्रतिबंधित मदें:** लॉटरी-टिकट, विदेशी एक्सचेंजों को मार्जिन भुगतान, विदेश में विदेशी मुद्रा व्यापार (forex trading), विदेशी द्वितीयक बाज़ार में भारतीय कंपनियों के FCCB की खरीद आदि पर LRS लागू नहीं।
- **कर-पहलू:** निर्धारित सीमा से ऊपर के प्रेषण पर स्रोत पर कर संग्रह (**TCS**) लागू होता है।

परिचय: UPSC-PCS परीक्षा की दृष्टि से

- **सिलेबस लिंक:** सामान्य अध्ययन - भारतीय अर्थव्यवस्था (भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, RBI के कार्य)।
- **कुंजी:** LRS की कुल सीमा **$2,50,000 प्रति वित्त वर्ष** याद रखें; प्रस्तावित ₹50 लाख उसके भीतर की उप-सीमा है, कुल सीमा नहीं।
- **संभावित भ्रम:** FEMA (1999) ने FERA (1973) का स्थान लिया - LRS, FEMA के तहत है; NRI प्रेषण और निवासी LRS अलग व्यवस्था हैं।

क्विज़: ज्ञान परखें

प्रश्न 1: उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत निवासी व्यक्ति की वर्तमान वार्षिक प्रेषण सीमा क्या है?

(a) 1,00,000 डॉलर
(b) 2,50,000 डॉलर
(c) 5,00,000 डॉलर
(d) 10,00,000 डॉलर

उत्तर और व्याख्या: (b) LRS के तहत एक वित्त वर्ष में 2,50,000 डॉलर तक प्रेषण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है; RBI का प्रस्ताव इसी के भीतर कुछ मदों पर ₹50 लाख की उप-सीमा का है।

प्रश्न 2: उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) किस कानून के तहत और कब शुरू की गई?

(a) FERA, 1973
(b) FEMA, 1999 - RBI द्वारा 2004 में
(c) RBI अधिनियम, 1934 - वर्ष 1950 में
(d) वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट द्वारा

उत्तर और व्याख्या: (b) LRS विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA, 1999) के तहत RBI ने 2004 में शुरू की; इसमें चालू और पूंजी दोनों खातों के लेनदेन आते हैं।

स्रोत (Sources):

- द हिंदू - RBI क्यों चाहता है कुछ विदेशी प्रेषणों पर ₹50 लाख की सीमा (Explained, 12 नवंबर 2026)
- लाइवमिंट - RBI का ₹50 लाख LRS उप-सीमा प्रस्ताव: आपके विदेशी निवेश-यात्रा पर असर